कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमोत्तर सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, हल्लोमाजरा, चण्डीगढ

विज्ञापन

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही(दफ्तरी/चपरासी/सफाई कर्मचारी(मंत्रा0)/फर्राश की भर्ती

1. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ(सं.क्षे.) एवं जम्मू व कश्मीर राज्यों से केरिपुबल में सिपाही(दफ्तरी/चपरासी/सफाई कर्मचारी(मंत्रा0)/फर्राश के पद पर भर्ती दिनॉक 16/08/2010 को ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, डाकघर–सराय खास, करतारपुर, जालन्धर (पंजाब) में नीचे दर्शायेनुसार आयोजित की जायेगी ।

पद का नाम	सामान्य	सामान्य भू0पू0सै0	अन्य पिछडा वर्ग	अ0पि0व0 भू0पू0सै0	अनुसूचित जाति	कुल
सिपाही/ दफ्तरी	01	.	.	.	.	01
सिपाही/चपरासी	09	01	04	01	02	17
सिपाही/सफाई कर्मचारी (मंत्रा0)	01	.	.	.	.	01
सिपाही/फर्राश	01	.	.	.	.	01
कुल	12	01	04	01	02	20

नोट :– (अ) प्रशासनिक कारणों से उक्त रिक्तियो की संख्या में बिना कारण बताये कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है ।

(ब) यह भर्ती केवल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ(सं.क्षे.) एवं जम्मू व कश्मीर राज्यों के उम्मीदवारों के लिए सीमित होगी ।

(स) उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण तथा पंजीकरण पर्ची ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, सराय खास, जालन्धर, पंजाब में दिनॉक 16/08/2010 को सुबह 0900 बजे से 1700 बजे तक जारी की जायेगी ।

2. उपरोक्त पदों के लिए वेतनमान पे–बैण्ड–1 रू0 5200–20,200/– एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– प्रति माह है ।

3. अन्य भत्ते :– केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर लागू अन्य भत्ते देय होंगे ।

4. तैनाती स्थान :– भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर किसी भी क्षेत्र में ।

5. सभी चयनित उम्मीदवारों पर दिनांक 1/1/2004 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नई अंशदायी पेंशन योजना प्रभावी होगी ।

6. केरिपुबल मे सेवारत कार्मिकों के बच्चे, यदि इच्छुक हों, भी शामिल हो सकते हैं । उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगी होना होगा । केरिपुबल के सेवारत कार्मिकों के बच्चे अपने गृह राज्य अथवा भर्ती के दौरान जिस राज्य में उनके माता/पिता सेवारत हैं अथवा उनकी बटा0 से संबद्ध ग्रुप केन्द्र, में से किसी एक में केरिपुबल में होने वाली भर्ती में शामिल हो सकते हैं । केरिपुबल के सेवारत कार्मिकों के पुत्र/पुत्रियों(वार्डो) द्वारा एक प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो सरकारी कर्मचारी के संबंधित ग्रुप केन्द्र/बटालियन द्वारा जारी किया होना चाहिए, जिसमें सरकारी कर्मचारी के पूर्ण विवरणों सहित यह उल्लेख भी होना चाहिए कि भर्ती में शामिल होने वाला उम्मीदवार केरिपुबल सदस्य का आश्रित बच्चा हैं ताकि के0रि0पु0बल के आश्रित बच्चों के नाम पर कोई गलत उम्मीदवार भर्ती न हो सके।

7. सिपाही (दफ्तरी/चपरासी/सफाई कर्मचारी(मंत्रा0)/फर्राश पदों के लिये पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

(क) शैक्षिक योग्यता :–

अ) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या 10 वीं पास ।

ब) उम्मीदवार अपने संबंधित रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए और भर्ती के समय उनको पंजीकृत कार्ड तथा इसका नम्बर प्रस्तुत करना होगा ।

स) उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़(सं.क्षे.) अथवा जम्मू–कश्मीर का मूल निवासी होना चाहिए ।

(ख) आयु :– 18 से 25 वर्ष (आयु निर्धारण की तिथि दिनांक 01/08/2010 अर्थात् रोजगार कार्यालयों द्वारा उम्मीदवार प्रायोजित करने की अंतिम तिथि होगी ।)

(अ) ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है :–

अ0जा/अ0ज0जा0	–	5 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग	–	3 वर्ष
सरकारी कर्मचारी	–	सामान्य श्रेणी हेतु 40 वर्ष तक तथा अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए 45 वर्ष तक केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार ।

(ब) 1984 के दौरान दंगों में मारे गये व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों को भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिनांक 21/09/07 के ज्ञापन संख्या आई./45023/2/2007/कार्मिक–दो के अनुसार पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी । यदि उम्मीदवार एस.सी./एस.टी. अथवा ओ0बी0सी0 वर्ग से है तो यह छूट उसको उपरोक्त (अ) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी । यह छूट प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार, अर्थात मारे गये व्यक्ति के बच्चे/परिवार के आश्रित को संबंधित जिला अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(स) भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 6/12/2005 के ज्ञापन संख्या 15012/7/1991–स्था0(डी) के तहत उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट उन सभी उम्मीदवारों को दी जाएगी जो कि जम्मू व कश्मीर राज्य में दिनांक 01/01/1980 से 31/12/1989 के दौरान सामान्यतः अधिवासित रहे हों । जो उम्मीदवार यह छूट प्राप्त करना चाहते हैं उनको नीचे दिए गए प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

1) जिला मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में उम्मीदवार ने निवास किया था ।
2) अन्य कोई प्राधिकारी जिसको जम्मू व कश्मीर द्वारा इस बारे में निर्दिष्ट किया गया हो ।

(ग) शारीरिक नापतोल/पी0ई0टी0

अभ्यर्थी को शारीरिक रूप में सभी प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए । अभ्यर्थी में एक मील की दौड़ 10 मिनट में पूर्ण करने की क्षमता होनी चाहिए ।

(घ) चिकित्सा मापदंड:—

उम्मीदवारों में घुटने मिलना, समतल पैर, वेरिकोस नसें अथवा आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए । उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना अनिवार्य है । उनके शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिससे ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निष्पादित करने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो ।

दांयी आँख की दृष्टि 6/6, बांयी आँख 6/12 अथवा दोनों आँखों की दृष्टि 6/9 बिना चश्मा/अन्य उपकरण लगाये होनी चाहिए।

(ड़) भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट :—
भूतपूर्व सैनिक जो लगातार भारत संघ की सेना, जल सेना अथवा वायु सेना मे सेवारत रहे हैं तथा सेवानिवृति या सेवा से त्याग—पत्र पर आए हैं, इसके लिए पात्र हैं । भूतपूर्व सैनिकों को आयु में भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जायेगी और उन्हें वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति प्रदान की जायेगी और यह घटाई गई आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15/12/1979 के ज्ञापन संख्या 39016/10/79/आर0—स्था0 में वर्णित है । लेकिन सैन्य सेवा एवं पुनर्नियुक्ति की तारीख के बीच 24 माह से अधिक अन्तराल नहीं होना चाहिए । भूतपूर्व सैनिक जिहोंने अपने स्वयं के अनुरोध पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व त्याग—पत्र दे दिया था, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं ।

(ए)	शारीरिक मापदण्ड	:	शारीरिक रूप से फिट
(बी)	चिकित्सा श्रेणी	:	शेप—एक
(सी)	चरित्र	:	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा
(डी)	सेवा में अन्तराल	:	24 माह से अधिक नहीं

08. चयन प्रकिया

उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन—पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है । भर्ती खुली रैली पद्धति पर आधारित होगी । इच्छुक/पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि तथा समयानुसार भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को निम्नलिखित टैस्ट से गुजरना होगा :

(ए) एक मील की दौड (क्वालीफाईग नेचर)
उम्मीदवारों को एक मील की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी।
नोट :—
जो उम्मीदवार एक मील की दौड़ में सफल नहीं होंगे उन्हें अगले चरण के लिए अयोग्य घोषित कर अस्वीकार स्लिप दी जाएगी तथा भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग नही लेने दिया जायेगा ।

बी) <u>उम्मीदवारों की पहचान</u>

जो उम्मीदवार एक मील दौड में सफल होंगे उनको भर्ती के सभी चरणों के लिए नवीनतम बायोमैट्रिक प्रकिया से गुजरना होगा ताकि कोई धोखाधड़ी न हो सके । (कम्प्यूटर पर आधारित बायोमैट्रिक उपकरण के अभाव में, उम्मीदवार की पहचान के लिए उसके अंगूठे की छाप, डिजीटल फोटोग्राफ और शरीर पर कोई विशिष्ट प्रकार के पहचान के चिन्ह का प्रयोग किया जायेगा) ।

सी) <u>कागजातों की जॉच</u>

पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों के मूल कागजातों/दस्तावेजों की जॉच की जाएगी और केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में बैठने की अनुमति दी जाएगी । यदि कोई उम्मीदवार, अपेक्षित <u>कागजातों/प्रमाण</u> पत्रों को प्रस्तुत नही करेगा, उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को भाग लेने नहीं दिया जाएगा । आरक्षित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग में आरक्षित रिक्तियों में विचार किये जाने वाले उम्मीदवारों को अनेक्सर– एक व दो (जो भी लागू हो) मे दिये गये निर्धारित प्रोफार्मा में अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

डी) <u>ट्रेड टैस्ट</u>

एक मील की दौड़ में सफल हुए उम्मीदवारों का अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उनके पद से संबंधित ट्रेड/जॉब दक्षता के अनुसार टैस्ट लिया जाएगा ।

ई) <u>चिकित्सा परीक्षण</u>

अ) एक मील की दौड़ तथा ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को वरीयता सूची के आधार पर चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा जिसमें उनकी शारीरिक एवं चिकित्सा की उपयुक्तता की जॉच की जायेगी । अस्थायी रूप से अनुपयुक्तता जैसा कुछ नही होगा । छाती के एक्स–रे एवं पैथोलोजिकल टेस्ट का खर्च उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जायेगा ।

नोट– प्रत्येक वर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर एवं पूर्व अनुभव के आधार पर सामान्य प्रत्याशित असफलता (नोरमल एन्टीसिपेटड फेलियरस) के अनुसार उम्मीदवारों को चिकित्सा जॉच हेतु बुलाया जायेगा । यदि शार्टफाल होता है, तो भी चिकित्सा जॉच का अगला दौर नही चलाया जायेगा । बिना भरी गई रिक्तियॉ शार्टफाल ही रहेंगी ।

ब) यदि किसी उम्मीदवार को चिकित्सा परीक्षण के अन्तर्गत केरिपुबल में नियुक्ति हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है तो भर्ती बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे अयोग्य घोषित किये जाने के संबंध में कारण दर्शाते हुए अवगत कराया जायेगा जिसे भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा । यदि उम्मीदवार चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्ष से सन्तुष्ट नहीं है तो वह पुनः चिकित्सा परीक्षा हेतु **'अनेक्जर–तीन'** में दिये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र को पंजीकृत चिकित्साकर्ता द्वारा जारी अपने फिटनेस के सबूत के साथ अपनी अपील अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, सराय खास, करतारपुर, जालंधर (पंजाब) के नाम प्रस्तुत कर सकता है । ऐसे चिकित्सा प्रमाण–पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें चिकित्साधिकारी द्वारा यह नोट न दिया गया हो कि उसे इस बात की पूरी तरह जानकारी है कि उम्मीदवार को पहले ही केरिपुबल के चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु अनफिट घोषित किया जा चुका है । अपील के साथ चिकित्सा पुनरीक्षण फीस के रूप में रू0 25/–(रूपये

पच्चीस मात्र) के रेखांकित इंडियन पोस्टल आर्डर / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक जो कि अपीलीय प्राधिकारी अर्थात पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, सराय खास, करतारपुर, जालंधर (पंजाब) के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा । चिकित्सा पुनरीक्षण शुल्क संलग्न नही किये जाने अथवा अयोग्य घोषित किये जाने के 15 दिन के बाद अपील प्रस्तुत करने की दशा में अपील पर विचार नहीं किया जायेगा ।

एफ) <u>अंतिम चयन :–</u>

अ) प्रत्येक श्रेणी की मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा । मेरिट ट्रेड टेस्ट में अर्जित अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी ।

ब) चयनित होने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार है :–

क) सामान्य/भू0पू0सैनिक – 35 प्रतिशत

ख) अनुसूचित जाति/अ.पि.वर्ग – 33 प्रतिशत

स) भर्ती प्रकिया के दौरान भर्ती बोर्ड का निर्णय ही अन्तिम होगा ।

9. भर्ती के समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे :–

i. शैक्षिक योग्यता/जन्म तिथि की पुष्टि के लिये मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र ।

ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जो भी लागू हो **'अनेक्जर–एक व दो'** में निर्धारित प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी (जो कि राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे पद का न हो) द्वारा जारी होना चाहिए । जो जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रोफार्मे मे नही होंगे उन्हें स्वीकार नही किया जायेगा ।

iii. रोजगार कार्यालय का मूल पंजीकरण कार्ड ।

IV. संबंधित राज्य द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण–पत्र जिससे उम्मीदवार का अधिवास प्रमाणित होता हो ।

v. भूतपूर्व सैनिकों के मामलें मे डिस्चार्ज प्रमाण पत्र ।

vi. शासकीय/अर्ध शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए कार्यालय/विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

vii. हाल में खीचें गए पासपोर्ट साईज के चार फोटोग्राफ ।

10. <u>सामान्य अनुदेश ।</u>

i. उम्मीदवार अपने खर्च पर परीक्षा/चयन हेतु सम्मिलित होंगे और इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा । उन्हें भर्ती स्थान पर ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी । भर्ती प्रक्रिया 6–7 दिन तक चल सकती है । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह पैन व पैंसिल अपने साथ लेकर आएं ।

ii. भर्ती प्रकिया/टेस्ट के दौरान दुर्घटना/चोटिल आदि हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

iii. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को शिक्षा, कागजात व दस्तावेजों की मूल प्रतियॉं प्रस्तुत करनी होगी । मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

iv भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को केरिपुबल के चिकित्सा अधिकारी अथवा प्राधिकारी की उपस्थिति में छाती एक्स–रे और पैथोलॉजी टैस्ट करवाया जायेगा जिसका खर्च उम्मीदवार को स्वयं वहन करना होगा ।

v सभी परीक्षाओं तथा चिकित्सा परीक्षण में सफलता प्राप्त कर लेने को नियुक्ति की गारंटी न समझा जाये क्योंकि श्रेणीवार आबंटित रिक्तियों में संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार ही नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जाएंगे ।

vi. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार, केरिपुबल अधिनियम 1949 एवं नियमावली 1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत शासित होंगे ।

vii. सभी पद वर्दीधारी (Combatised) हैं और पूर्णतया अस्थायी, परन्तु आगे बने रहने की संभावना है । चयनित उम्मीदवार को भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

viii. भर्ती के लिये कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे ।

ix. भर्ती हेतु आवेदन पत्र भेजने की आवश्यकता नही है । इच्छुक/पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि/समय पर भर्ती बोर्ड के समक्ष ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, सराय खास, करतारपुर, जालंधर (पंजाब) में उपस्थित होंगे ।

x चयन/नियुक्ति के दौरान अथवा बाद में यदि उम्मीदवार को किसी भी प्रकार से अयोग्य पाया जाता है अथवा अपनी सेवा से संबंधित कोई तथ्य छुपाया हुआ पाया जाता है तो उसकी सेवाएं बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती है ।

xi भर्ती हुए उम्मीदवार को केरिपुबल के प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है ।

xii भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित मामलों/जानकारी के ब्यौरे केरिपुबल की वेबसाईट (www.crpf.nic.in) पर उपलब्ध है तथा मदद के लिए टेलीफोन नम्बर 0181–2782332 एवं ई–मेल आई.डी. gcjdr@crpf.gov.in है ।

11. उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

(अ) भर्ती प्रक्रिया में एक मील की दौड़ को 10 मिनट में पूरा करना होगा । इसके लिए उम्मीदवारों में पर्याप्त शक्ति तथा समर्थ की आवश्यकता है । अतः उम्मीदवारो को हिदायत दी जाती है कि वे भर्ती दौड़ में आने से पूर्व इसका उचित अभ्यास करें । और उन्हें यह भी बताया जाता है कि इसमें भाग लेने से पूर्व स्वयं को चिकित्सा दृष्टि से परीक्षण करवाये कि वे इस लम्बी दौड़ को दिये गये समय में पूरा करने के योग्य है । केरिपुबल किसी भी प्रकार की चोट/घटना तथा चिकित्सा समस्या जो इस दौड़ एवं अन्य भर्ती प्रकिया में होगी, के लिए जवाबदार नही होगी ।

(ब) दलालों से सावधान । के0रि0पु0बल में भर्ती के लिए कोई रूपया–पैसा नहीं लिया जाता है । यदि आपने किसी को रूपया–पैसा दिया है या देने का वादा किया है तो आपने धोखा खॊया है तथा आप अपना धन गंवा रहे हैं । यदि कोई व्यक्ति रूपया–पैसे की मांग करता है अथवा भर्ती का वादा करता है तो भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को तत्काल सूचित करें ।

(ताज मोहम्मद)
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा0)
पश्चिमोत्तर सेक्टर, केरिपुबल, चण्डीगढ

अनेक्जर–एक

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पुत्र श्री.............................. ग्राम/नगर .... .जिला/राज्य/मंडल/संघ राज्य क्षेत्र ....के निवासी..........................जाति/जन जाति से संबंधित है जो निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम–1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976)

संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,1956

' संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

' अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित ।

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

' संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1964

' संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

' संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

' संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

' संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990

' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1991

' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय–संशोधन), अधिनियम 1991

' संविधान (अनुसूचित जनजाति) अध्यादेश, 1996

02. यह प्रमाण पत्र श्री ....पुत्र श्री.................. ग्राम/नगर........................ जिला/मंडल.............
............राज्य/संघ राज्य क्षेत्र........................को जो.................... जाति/जन जाति से संबंधित हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं को अथवा श्री..............तथा अथवा उसका परिवार जो साधारणतया ग्राम/नगर....................जिला/मंडल........
.......राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं को........................(जारी करने वाले निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी का नाम) द्वारा उनके दिनांक .... संख्या..........................के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है

स्थान....................................... हस्ताक्षर.............................

दिनांक.. पदनाम.....................................

(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :– यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/ महाप्रांत मजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।

4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/ या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

अनेक्जर–दो

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछडा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(भारत सरकार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 02/07/1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94–स्था0(रेज))

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पुत्र/पुत्री श्री............................. ग्राम ....
ज़िला/प्रमण्डल.................राज्य....................समुदाय.........................के हैं जो निम्न के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

1) भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग–1, संख्या–186 दिनांक 13.09. 1993 में प्रकाशित संकल्प संख्या–12011/68/93/बी.सी.सी.(सी.) दिनांक 10/09/93.
2) भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग–1, संख्या–163 दिनांक 20/10/1994 में प्रकाशित संकल्प संख्या–12011/9/1994–बी.सी.सी. दिनांक 19.10.1994
3) भारत सरकार के राजपत्र असाधरण भाग–1 संख्या 88 दिनांक 25/5/1995 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/7/1995 बी.सी.सी.दिनांक 24/5/1995
4) भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भग–1, सेक्शन–1, संख्या–210 दिनांक 11/12/1996 में प्रकाशित संकल्प संख्या–12011/44/96/बी.सी.सी. दिनांक 06/12/1996

श्री.......................................तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया राज्य के...................जिला/प्रमण्डल ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करता हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/22/93 सी0(एस.सी.टी.) दिनांक 08/09/1993 की अनुसची के कालम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

स्थान....................................

दिनांक..............................

हस्ताक्षर.............................

पदनाम....................................

(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :– यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/ महाप्रांत मजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।

4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/ या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

अनेक्जर–तीन

चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र

मै एतत्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैने/हमने श्री .... जो कि .... विभाग में भर्ती के लिए उम्मीदवार है, की चिकित्सा जांच की तथा उसमें शारीरिक दोष/कमी .... को छोड़कर किसी प्रकार की बीमारी (संचारी या अन्य), का होना नही पाया है । मैं/हम उसे भर्ती हेतु .... के कार्यालय के लियें अयोग्य नही मानते है।

नोट–

यह प्रमाण पत्र मेरे द्वारा इस पूरे तथ्यों की जानकारी के उपरांत जारी किया जा रहा है कि कार्मिक को पहले ही केरिपुबल के मेडिकल अधिकारी द्वारा भर्ती के लिये अयोग्य धोषित किया गया है ।

स्थान –

दिनांक –

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.......................................

हस्ताक्षर चिकित्सा अधिकारी
/बोर्ड के चिकित्साधिकारी